4 वर्षीय (08 सेमेस्टर) CBCS (च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम)

Under Graduate स्नातक पाठ्यक्रम

सत्र 2025-2029 में नामांकन हेतु

विद्यार्थियों (आवेदकों) के लिए आवश्यक निर्देशिका

विद्यार्थियों के लिए नीचे आवश्यक निर्देश दिए गए हैं विद्यार्थी आवेदन फॉर्म भरने से पूर्व इसे डाउनलोड कर अवश्य पढ़ लें तत्पश्चात ही आवेदन फार्म को भरें:-

1. आवेदकों के पास एक वैध मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि यह ईमेल और मोबाइल नंबर आपके भविष्य के सभी संदर्भों के लिए उपयोग किया जाएगा। कृपया स्वयं का ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी प्रयोग करें।
2. आवेदक अपना ऑनलाइन नामांकन आवेदन प्रपत्र भरने से पूर्व निम्न लिखित प्रमाण पत्रों को स्कैन कर पीडीएफ **(PDF)** बनाकर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे, क्योंकि समर्थ ऐडमिशन पोर्टल पर अपलोड अनिवार्य होगा। सभी अपलोड किये जाने वाले सर्टिफिकेट्स का साईज 100 KB to 500 KB के बीच होना चाहिये।
   a. Latest Photo (Not more than 2 months old)
   b. Signature of Student
   c. Original Xth Marksheet and Certificate
   d. Original XIIth Marksheet and Certificate
   e. Caste Certificate (If applicable)
   f. EWS Certificate (If applicable)
   g. PwD Certificate (If applicable)
   h. Other Certificate (If applicable)
3. ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 12वीं के रेगुलर कोर्स में यदि VIth पेपर अतिरिक्त विषय के रूप में लिया है। और अपना नामांकन VIth पेपर में अर्थात एक्स्ट्रा पेपर वाले विषय में लेना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में एडमिशन फॉर्म में कुल प्राप्तांग टोटल मार्क्स VIth पेपर सब्जेक्ट के अनुसार भरेंगे और अपना पांचवा पेपर का अंक मार्क्स कुल प्राप्तांक में से (-) घटाकर ही भरेंगे।
   उदहारण: किसी विद्यार्थी की अंक तालिका में प्राप्त अंक इस प्रकार है-
   Hindi – 75, English – 65, Physics – 70, Chemistry – 80, Mathematics – 60,
   (Extra Paper) Biology – 75
   Case – (i) यदि विद्यार्थी मुख्य पांचो विषय में से गणित विषय में नामांकन लेना चाहता है तब उसका प्राप्तांक 70% होगा। $(75+65+70+80+60) \div 5 = 70$
   Case – (ii) यदि विद्यार्थी मुख्य पांचो विषय के अलावा अन्य अतिरिक्त विषय में बायोलॉजी के आधार पर बॉटनी अथवा जूलॉजी में नामांकन लेना चाहता है तब उसका प्राप्तांक 73% होगा।
   $(75+65+70+80+75) \div 5 = 73$
4. विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वें जिस विषय में पढ़ना चाहते हैं, उसी विषय के लिये ही apply करेंगे। यह विषय विद्यार्थी के लिये MJC (major course) विषय के रूप में रहेगा। चार वर्ष पूर्ण होने पर इसी विषय के साथ ऑनर्स किया जा सकेगा।

5. आरक्षण और फीस में छूट का लाभ सिर्फ बिहार के विद्यार्थियों को ही मिलेगा, अर्थात बिहार सरकार के कार्यालय से निर्गत प्रमाण पत्र को ही आरक्षण का आधार माना जाएगा। अन्य राज्य के किसी निवासी को आरक्षण अथवा छूट का लाभ नहीं मिलेगा।
6. आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वह अपनी जाति एवं वर्ग को अच्छी तरह देखकर ही नामांकन प्रपत्र में भरें। अन्यथा गलत जाति में आरक्षण लाभ लेने हेतु भरे जाने पर नामांकन नही किया जाएगा और भविष्य में भी नामांकन पर कोई विचार नही किया जायेगा।
7. ऐडमिशन पोर्टल पर पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया के अंतर्गत आने वाले चारों जिला के सभी अंगीभूत (Constituent) एवं संबंधन प्राप्त (Affiliated) महाविद्यालय की सूची डाल दी गई है जिन्हें जिला वार प्रदर्शित किया गया है। अतः आप जिस विषय में ऑनर्स (MJC विषय) करना चाहते हैं उस विषय के कौन-कौन कॉलेज हैं, उन्हें पहले भली भांति जांच लें। **किसी भी विद्यार्थी को अधिकतम दो ही जिला में कॉलेज चयन करने का अधिकार दिया जा रहा है।**
8. विद्यार्थी आवेदन प्रपत्र भरते समय विद्यार्थियों को अपनी पसंद और प्राथमिकता के आधार पर **अधिकतम दो ही जिला में** कुल अधिकतम सात (7) महाविद्यालयों को चुन सकता है। यह चयन अंगीभूत (Constituent) एवं संबंधन प्राप्त (Affiliated) महाविद्यालय में से करना है।
9. विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि महाविद्यालय का चुनाव करते समय वह अपने गृह जिला अथवा निकटतम जिला में अधिकतम पांच (5) कॉलेज का चयन करें एवं दो (2) कॉलेज पास के जिला में करें। कॉलेज का चयन पसंदीदा विषय की उपलब्धता के आधार पर करना है।
10. गृह जिला अथवा निकटतम जिला से अधिकतम कॉलेज का चयन करने से विद्यार्थियों को वर्ग संचालन, फॉर्म भरना, आंतरिक परीक्षा के समय कॉलेज जाना में आसानी होगी।
11. मेधा सूची का प्रकाशन विद्यार्थियों के प्राप्तांक उनके आरक्षण की कोटी और उनके द्वारा चयनित महाविद्यालय में उपलब्ध सीटों के कट ऑफ अंक के आधार पर कंप्यूटर के द्वारा जारी किया जाएगा। अतः किसी विद्यार्थी को कौन सा महाविद्यालय आवंटित हो रहा है, यह उनके द्वारा चयनित महाविद्यालय में उनकी मेधा के अनुसार उपलब्ध सीटों के आधार पर होगा।
12. प्रथम मेधा सूची का नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो जाने के पश्चात, महाविद्यालय में उपलब्ध रिक्त सीटों का द्वितीय मेधा सूची का कोटि वार प्रदर्शन किया जाएगा। जिसमें वैसे विद्यार्थी जो प्रथम मेधा सूची में वरीयता वाले महाविद्यालय में स्थान प्राप्त कर लिए हैं परंतु नामांकन नहीं लिए उन लोगों को द्वितीय मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।
13. नामांकित विद्यार्थियों को नामांकन प्रक्रिया के दौरान नामांकन प्रक्रिया समापन तक नामांकन रद्द करने का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं रहेगा।
14. विद्यार्थियों द्वारा आवेदन में भरे गए अंको (प्राप्तांक) के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी यदि महाविद्यालय में नामांकन के समय मूल अंक पत्र से मिलान करने पर अंकों में अंतर पाया जाता है, तब ऐसी स्थिति में नामांकन नही लिया जाएगा। अतः विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि नामांकन कन्फर्म करने के चककर में ऐसी गलती ना करे। गलत पकडे जाने पर विधिसम्मत कार्यवाही करते हुए पुलिस को सौंप दिया जायेगा।

15. विद्यार्थियों द्वारा आवेदन में भरे गए कास्ट एंड कैटिगरी को आधार मानकर मेधा सूची तैयार की जाएगी अगर नामांकन के समय मूल केटेगरी सर्टिफिकेट से मिलान करते वक्त अंतर आया तो विद्यार्थी का नामांकन नही लिया जाएगा।
16. नकली मूल अंक पत्र अथवा नकली जाति प्रमाण पत्र को बनवाकर नामांकन लेने वाले विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की समस्त नामांकन प्रक्रिया से तीन (03) सालों के लिए ब्लैक लिस्टेड कर दिया जायेगा और विधिसम्मत कार्यवाही करते हुए पुलिस को सौंप दिया जायेगा।
17. यदि विद्यार्थी का नामांकन रद्द किया गया है तो विद्यार्थी को उपयुक्त कारण बताते हुए 24 घंटे के अंदर आवंटित महाविद्यालय में आवेदन करना अनिवार्य होगा। यदि विद्यार्थी आवेदन नहीं करता है तो उसको नामांकन की समस्त प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा।
18. विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन प्रपत्र भरते समय नवीनतम रंगीन फोटो जो कि दो माह से पुराना ना हो को ही आवेदन पत्र भरते समय अपलोड करेंगे। यदि वे अन्य किसी का या पुराना फोटो लगाते हैं, तो किसी भी स्थिति में फोटो बदलने की अनुमति विद्यार्थी को नहीं दी जाएगी।
19. इसी प्रकार विद्यार्थी अपना नाम भरते समय पूर्ण सावधानी बरतें। किसी भी स्थिति में विद्यार्थी को नाम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
20. यदि विद्यार्थी नामांकन पत्र भरने के दौरान पिता का नाम माता का नाम जन्म तिथि धर्म आदि में आंशिक त्रुटि पाई जाती है। तो आवंटित महाविद्यालय के स्तर से आवेदन करके त्रुटि का सुधार करने के बाद ही महाविद्यालय नामांकन को वैलिडेट करेगा। इसके लिए विद्यार्थी को एक आवेदन महाविद्यालय में समर्पित करना होगा।
21. आंशिक त्रुटि का अधिकार महाविद्यालय को दिया गया है। यदि सुधार नही किया गया तो रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर भी गलती मौजूद मिलेगी इसकी सारी जिम्मेदारी विद्यार्थी के ऊपर रहेगी।
22. विद्यार्थियों का नामांकन एवं रजिस्ट्रेशन संबंधित किसी भी प्रकार की त्रुटि का निवाकरण (correction) महाविद्यालय द्वारा ही किया जायेगा। इस संबंध में छात्रों को विश्वविद्यालय आने की कोई आवश्यकता नही है।
23. सिर्फ एडमिशन प्रोसेस पूरा करने तक विद्यार्थी का नामांकन पूर्ण नहीं माना जाएगा। विद्यार्थी का नामांकन सिर्फ और सिर्फ तभी पूरा माना जाएगा जब महाविद्यालय उसके एडमिशन को वैलिडेट कर देगा अर्थात सत्यापित करेगा।
24. महाविद्यालय सत्यापित करने से पूर्व विद्यार्थी द्वारा आवेदन पत्र में भरे गए शैक्षणिक एवं अन्य सभी प्रमाण पत्रों की जांच करेगा। महाविद्यालय जांच करने के पश्चात ही उसका आवेदन पूर्ण होने की श्रेणी में माना जाएगा।
25. चयन लिस्ट में आने के बाद विद्यार्थी नामंकन लेने हेतु चयनित महाविद्यालय जाकर सभी शैक्षणिक एवं अन्य सभी प्रमाण पत्रों की जांच सशरीर उपस्थित होकर करानी होगी। विद्यार्थी के अलावा किसी अन्य अथवा निकट परिजन को सभी शैक्षणिक एवं अन्य सभी प्रमाण पत्रों की जांच कराने की कोई अनुमति नही है।

26. नामंकन लेने हेतु महाविद्यालय जाते समय नामांकन अपलोड किये गये शैक्षिक अंक पत्रों, जाति प्रमाण पत्रों, दिव्यांग प्रमाण पत्र एवं अन्य सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ निम्न प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होगी:-
    a. CLC/ SLC original (at the time of admission)
    b. Migration original (If applicable)
27. सभी State Boards के Inter या 10+2 उत्तीर्ण छात्र- छात्राओं को apply करने का निर्णय लिया गया है। सिर्फ उन्ही विद्यार्थियों का नामांकन होगा जो 10+2 या समतुल्य उत्तीर्ण हैं।
28. मैट्रिक उत्तीर्णता के पश्चात् तीन वर्षीय अभियंत्रण डिप्लोमा को Intermediate (विज्ञान संकाय) के समकक्ष माना गया है। ऐसे विद्यार्थी को U.G. में केवल विज्ञान विषय में Math, Physics, Chemistry नामांकन हेतु अप्लाई कर सकते है।
29. मैट्रिक उत्तीर्णता के पश्चात् ITI (NCVT/ SCVT से मान्यता प्राप्त) अभ्यर्थियों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से उच्च माध्यमिक स्तरीय भाषा (हिंदी एवं अंग्रेजी) परीक्षा एक ही वर्ष में तथा ITI के उत्तीर्ण होने वाले वर्ष के साथ अथवा उसके बाद उत्तीर्ण की हो को 12वीं उत्तीर्ण की समकक्ष माना गया है। ऐसे विद्यार्थी को U.G. में केवल विज्ञान विषय में Math, Physics, Chemistry नामांकन हेतु अप्लाई कर सकते है।
30. नामांकन प्रक्रिया के लिए, आपको विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध निर्देशों और सूचनाओं का पालन करना चाहिए। साथ ही आपको विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा।
31. Science का उत्तीर्ण विद्यार्थी तीनों संकाय (BA/BCom/BSc) में से कोई भी संकाय के विषय को MJC (Major विषय) के रूप में ले सकेगा। परन्तु Arts और Commerce का विद्यार्थी Science में Apply नही करेगा।
32. Commerce का कोई भी विषय Major के रूप Arts का विद्यार्थी ले सकेगा और Arts का विद्यार्थी Commerce का कोई भी विषय ले सकेगा।
33. I.Sc., I.A, I.Com. तथा 10+2 उत्तीर्ण छात्र/छात्रा का नामांकन हेतु Merit list उसके Aggregate Marks पर ही बनेगा।
34. नामांकन फॉर्म भरने, नामांकन कराने की सुविधा रविवार एवं अवकाश के दिनों में भी रहेगी।
35. विद्यार्थियों **को नामांकन फॉर्म भरने में किसी भी असुविधा अथवा समस्याओं** के निराकरण के लिए पूर्णियां विश्वविद्यालय द्वारा एक E:Mail ID एवं helpline number जारी की गये है।

E:Mail helpdeskadmission@purneau.ac.in

Helpline Number 7004639847 /6204048008 (11:00 AM से 04:30 PM)